संख्या-123/2016/1962/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0

प्रेषक,

विनय कुमार सिंह]
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की योजनान्तर्गत 10 ऐतिहासिक जल कुण्डों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1133/6-1-1(405)/मु0मं0घो0/2016, दिनांक 04-11-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में तृतीय फेज के अन्तर्गत 10 ऐतिहासिक जलकुण्डों 1. चन्द्र कुण्ड (छाता), 2. बलभद्र कुण्ड, (बडी बठैन) 3. कृष्ण कुण्ड, (छोटी बठैन), 4. बलभद्र कुण्ड, (अडिंग), 5. महदर कुण्ड, (गठौली), 6. सखी कुण्ड, (सकीतरा) 7. शाही तालाब, (दौताना) 8. पय सरोवर, (पयगाम), 9. पाण्डव गंगा, (बैठन) 10. रत्न कुण्ड, (गोवर्धन) के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य की योजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1198.40 लाख धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-49/2016/371/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0 दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद मथुरा के उपर्युक्त ऐतिहासिक जलकुण्डों के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अनुदान संख्या-44 में मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों के जीर्णोद्धार में व्यवस्थित धनराशि से रू0 5.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश सं0 80/2015/281/41-2015-40 यो0/13 टी0सी0, दिनांक 30.03.2015 एवं शासनादेश सं0 49/2016/371/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0 दिनांक 28.03.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त कर परीक्षण कराते हुए शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-22-मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-123/2016/1962(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार इलाहाबाद।
2- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
7- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in